

1/1/2010.ई.ई  
भारत सरकार  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

जनपथ, नई दिल्ली-11  
दिनांक:- मई,2010

सेवा में,

1. सभी उत्खनन तथा प्रागैतिहासिक शाखाएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
2. मंदिर तथा भवन सर्वेक्षण परियोजनाएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
3. सभी मंडल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
4. सभी राज्य पुरातत्व विभाग
5. प्राचीन इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभागों वाले सभी विश्वविद्यालय
6. पुरातत्व संबंधी कार्य कर रही अनुसंधान संस्थाएं

विषय: सत्र 2010-2011 के लिए अन्वेषण/ उत्खनन कार्यक्रमों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 24 में किसी भी प्रकार के पुरातत्वीय उत्खनन जिसमें पुरातत्वीय विशेषता वाली वस्तुओं की खोज के उद्देश्य से किए गए अन्वेषण या अन्य कार्य भी शामिल हैं, को करने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेना निर्धारित किया गया है। देश में उत्खनन कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्रदान करने के लिए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों पर केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अपनी सिफारिश करने के लिए विचार किया जाता है।

मुझे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है कि सत्र 2010-11 के दौरान पुरातत्वीय उत्खनन करने के लिए ऐसे सभी प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में पूरे विवरण के साथ 31 जुलाई 2010 तक इस कार्यालय को प्रेषित कर दिए जाएं ताकि उन्हें केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

यदि उत्खनन कार्यक्रम पूर्व कार्य के क्रम में है तो इसका उल्लेख पिछले सत्र के दौरान किए गए कार्य तथा पूर्व सत्र के कार्य की विस्तृत रिपोर्ट सहित भविष्य की योजना के कार्यक्षेत्र को दर्शाते हुए किया जाए।

इसके अलावा, प्रस्ताव समस्या उन्मुखी प्रकृति का होना चाहिए तथा कार्य की योजना में भविष्य की योजना की भी परिकल्पना की जानी चाहिए ताकि प्रति वर्ष का कार्य अलग कार्य प्रतीत न हो।

ऐसे क्षेत्रों में उत्खनन के प्रस्ताव जो केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित नहीं हैं संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे जो अपनी ओर से यह प्रमाणित करेंगी कि वे असंरक्षित क्षेत्र में स्वयं पुरातत्वीय उत्खनन करना चाहती हैं अथवा आवेदक को पुरातत्वीय उत्खनन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी सिफारिश न किए जाने पर, प्रस्ताव को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा इसे केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष नहीं रखा जाएगा। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ताकि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के नियम 24 की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

तथापि, किसी केन्द्रीय संरक्षित स्थल के उत्खनन का प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रपत्र-11 में (प्रपत्र संलग्न) उत्खनित किए जाने वाले क्षेत्र को दर्शाते हुए तथा विशेष रूप से लाल रंग से चिन्हित करते हुए योजना की तीन प्रतियों के साथ इस कार्यालय को सीधे भेजा जाए। यदि कार्य को जारी रखना है तो पिछले सत्र ( सत्रों ) में उत्खनित किए गए क्षेत्र को हरी स्याही से चिन्हित किया जाए।

तथापि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए:-

1. प्रस्ताव, संलग्न नमूना प्रपत्र में ब्यौरे सहित तैयार कर प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसमें सत्र के दौरान उत्खनित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र को विधिवत चिन्हित करते हुए स्थल की एक योजना शामिल की जानी चाहिए।
2. प्रस्ताव अनुसंधान उन्मुख होना चाहिए तथा इसका उद्देश्य प्राचीन बौद्ध बस्तियों तथा आदि मध्ययुगीन तथा मध्ययुगीन पुरातत्व के साथ-साथ सुपरिभाषित उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत में प्रागैतिहासिक अन्वेषण, कश्मीर तथा लद्दाख में नवप्रस्तर अन्वेषण तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात में स्वदेशी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हड़प्पन संस्कृति के उद्गम तथा विकास को समझने सहित भारतीय पुरातत्व तथा इतिहास के गायब सम्बन्धों तथा अंतरालों को भरना भी होना चाहिए।
3. प्रस्तावों में शहरीकरण, कृषि विस्तार, प्रारम्भिक औद्योगिकरण तथा अतिक्रमणों के कारण पुरातत्वीय स्थलों के विनाश को ध्यान में रखते हुए जहां तक सम्भव हो, पुरातत्वीय अवशेषों के बचाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. आवेदक द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार पिछले फील्ड सत्र के दौरान किए गए उत्खननों के परिणाम पर एक व्यापक सचित्र रिपोर्ट, प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से लगाई जानी चाहिए। महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस रिपोर्ट को अपनी समीक्षा में प्रकाशित करवा सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट के न होने पर, सत्र 2010-

- 11 के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं भी किया जा सकता। ऐसी रिपोर्ट में केवल संरक्षित स्थलों ( प्रति संलग्न) के लिए प्रपत्र-IV में पुरावशेष पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी लगाई जानी चाहिए।
5. ऐसे क्षेत्रों में उत्खनन करने के लिए जो केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित नहीं हैं, प्रस्ताव सम्बंधित राज्य सरकार के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। तथापि, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक अग्रिम प्रति भेजी जा सकती है।
  6. विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थाओं के मामले में यह आवश्यक है कि प्रस्ताव पर क्रमशः रजिस्ट्रार/ संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।
  7. ऐसे सभी प्रस्ताव सीधे अथवा संबंधित राज्य सरकार की मार्फत इस कार्यालय में 31 जुलाई, 2010 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।
  8. निर्धारित तिथि अर्थात् 31 जुलाई, 2010 तक विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थाओं के किसी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त न होने की स्थिति में प्रस्तावों को जांच के लिए काबा की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और इन्हें अस्वीकार समझा जाएगा।
  9. इस परिपत्र के जारी होने से पहले जिन्होंने सत्र 2010-11 के लिए अन्वेषण / उत्खनन के लिए पहले ही अपने प्रस्ताव भेज रखे हैं वे इन्हें संलग्न नमूना प्रपत्र के अनुसार नये सिरे से भेजें।
  10. यह नोट किया जाए कि सभी कालमों को विधिवत् रूप से भरा जाए और टाइप किया जाए। स्पष्टता को सुनिश्चित करने के लिए कृपया हाथ से लिखे आवेदनों को भेजने से बचें।
  11. 31 जुलाई, 2010 के बाद प्राप्त होने वाले और ऊपर लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
  12. प्रस्तावों को काबा की स्थायी समिति के सदस्यों के समझ सभी विशेषताओं को उजागर करने के लिए एम एस पावर प्वाइंट प्रस्तुति के रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा।

भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही विदेशी नागरिकों/संस्थाओं के साथ सहयोग किया जाएगा। भारतीय सहयोगियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले विदेशी नागरिक/इस परियोजना से जुड़े व्यक्ति का उपयुक्त रिसर्च वीजा/ गृहमंत्रालय/ विदेश मंत्रालय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

रिपोर्ट लिखना पुरातत्व उत्खनन का एक अभिन्न अंग है। अतः उत्खनन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि पहले किए गए उत्खनन की रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है और प्रकाशित कर दी गई है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो विस्तृत और अकाट्य कारण सूचित किए जाएं। कृपया यह नोट करें कि यदि उपर्युक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उत्खनन के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा। संस्थान और विभागों के प्रमुख कृपया स्पष्ट तौर पर यह सुनिश्चित करें

कि संबंधित आवेदक की उत्खनन रिपोर्ट लंबित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त वे यह सुनिश्चित करें कि यदि संबंधित आवेदक की उत्खनन रिपोर्ट लंबित है तो आवेदन पत्र अग्रोषित न किए जाएं। पूर्ण रिपोर्ट महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , नई दिल्ली को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी (पी डी एफ/फॉरमेट) में प्रस्तुत की जाए।

( शुभ्रा प्रमाणिक)  
निदेशक( अन्वेषण और उत्खनन)

संलग्न:यथोक्त

प्रति, सभी सम्बंधित राज्य विभागों ( पुरातत्व निदेशालय) को सूचनार्थ तथा सत्र 2010-11 के लिए अपने राज्य के संबंध में उत्खनन के लिए अपनी सिफारिश सहित उत्खनन/अन्वेषण के लिए प्रस्तावों को भेजने के लिए प्रेषित। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित उपबंधों को पूरा करना आवश्यक है। सुलभ संदर्भ के लिए संगत अंशों को नीचे दर्शाया गया है।

"कोई भी राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है,पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए किसी उत्खनन या उसी प्रकार की अन्य संक्रिया का भार केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे नियमों या निदेशों के, यदि कोई हों, जो केन्द्र सरकार इस निमित्त बनाएगी या इसके आधार पर प्रदान करेगी के सिवाय नहीं लेगी और न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा भार लेने के लिए प्राधिकृत करेगी".....( धारा 24,प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958)।

" किसी भी क्षेत्र में जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है पुरातत्वीय उत्खनन अथवा उसी प्रकार की किसी अन्य संक्रिया का इरादा रखने वाली अथवा इसके लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने का इरादा रखने वाली प्रत्येक राज्य सरकार उत्खनन अथवा संक्रिया शुरू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम तीन महीने पहले इसके इरादे की सूचना केन्द्र सरकार को देगी....."( नियम 24 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959)।

(शुभ्रा प्रमाणिक)  
निदेशक ( अन्वेषण और उत्खनन)

No.F.1/1/2010-EE  
Government of India  
Archaeological Survey of India

.....

Janpath, New Delhi-11  
Dated: April, 2010

To,

1. All Excavation and Prehistory Branches, Archaeological Survey of India (ASI).
2. Temple and Building Survey Projects, ASI.
3. All Circles, ASI.
4. All State Departments of Archaeology.
5. All Universities having Department of Ancient History, Culture and Archaeology.
6. Research Institutions dealing with Archaeology.

**SUB:- INVITING PROPOSALS FOR EXPLORATION / EXCAVATION PROGRAMME FOR THE SEASON 2010-2011 – REGARDING.**

Sir,

As you are aware that Section 24 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 stipulates the approval of the Central Government for carrying out any archaeological excavation, which also includes exploration or any operation aimed at discovery of objects of archaeological character. In order to coordinate the excavation programme in the country all the proposals, which are submitted to the Director General, ASI for the approval of the Central Government, are considered by the Standing Committee (SC) of the Central Advisory Board of Archaeology (CABA) for its recommendation.

I have the honour to draw your attention that all such proposals for undertaking archaeological excavation **during the field season 2010-11**, may be forwarded to this office with full details as per the enclosed proforma, latest by **31<sup>st</sup> July 2010** for placing the same before the SC of CABA.

In case, the excavation programme is a continuation of earlier work, it shall also be mentioned indicating the work done during the last season and scope for future planning along with a detailed report of previous season's work.

Further, the proposal should be problem-oriented in nature and scheme of work may be envisaged for future planning as well so that each year's work may not appear as isolated venture.

Proposal for excavation in the areas, which are not protected by the Central Government, **shall be submitted through the respective State Government** who in their turn, may certify that they intend to undertake or authorize the applicant to undertake archaeological excavation in the area which is not a protected area. **In the absence of such recommendation by the concerned State Government, the proposal will be liable to summary rejection and it will not be placed before the Standing Committee of the Central Advisory Board of Archaeology.** This procedure has been prescribed by the Government so as to fulfill requirements of Rule 24 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

Proposals for excavating a centrally protected site shall, however be sent to this office directly, in duplicate, in Form II (format enclosed) along with a plan in triplicate indicating the area to be excavated and distinctly marked in red. In case of continuation of work, the area excavated during the last season (s) shall be marked in green ink.

The following points may however be kept in view while submitting the proposals:-

1. The proposals must be drawn and submitted with details as given in enclosed proforma specimen including a plan of the site duly marking therein area proposed to be excavated during the season. Further, the excavated area may be marked distinctly.
2. The proposal should be research-oriented and aimed at filling the missing links and gaps in Indian Archaeology and History with well-defined objectives particularly on prehistoric investigation in north-eastern India, northern Neolithic investigation in Kashmir and Ladakh and also to understand the origin and development of Harappan Culture in the context of indigenous culture in Harayana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Besides ancient Buddhist settlements and early medieval and medieval archaeology.
3. The proposals may also be concentrated on salvaging of archaeological remains wherever possible keeping in view of the destruction of archaeological sites due to urbanizations, agricultural expansion, incipient industrialization and encroachment.
4. A comprehensive illustrated report on the result of excavation carried out by the applicant during the last field season, as per approved programme, shall

5. necessarily accompany the proposal. The Director General, ASI may publish this report in his review. In the absence of such report, the proposal for the season 2010-11 may not be considered. Such report shall also be accompanied by a detailed report on antiquity in **Forms IV** for protected sites only (copy enclosed).
6. For the excavation in the areas not protected, by the Central Government, **proposal must route through the concerned State Government**. However, an advanced copy may be submitted to the Director General, ASI.
7. In case of Universities / Research Institutions, it is necessary that the proposals should be signed by the Registrar/Head of the Institutions, respectively.
8. All such proposal should reach this office positively by **31<sup>st</sup> July, 2010** direct as well as through the concerned State Government.
9. In case the recommendation from the State Government for approval of any proposal of the University / Research Institution is not received on the **due date i.e. 31<sup>st</sup> July 2010**, the **proposals will not be placed before the SC of CABA for its scrutiny and it will be treated as rejected**.
10. Those who have already sent their proposals for exploration/excavation for the season **2010-11** prior to the issue of this circular will have to send it afresh as per enclosed specimen proforma.
11. It may be noted that all the columns should be duly filled in and typewritten. To ensure clarity, handwritten applications may please be avoided.
12. Proposals received after **31<sup>st</sup> July 2010** and which lack the requirements stipulated above, will be summarily rejected.
13. The proposals shall also be submitted as a MS Power Point presentation highlighting all the features for the presentation before the members of SC of CABA.

**Collaboration with foreign nationals / Institutions shall be carried out only after obtaining approval of the Government of India. It shall be ensured by the Indian Collaborators that proper research visa/permission of Ministry of Home Affairs / Ministry of External Affairs of the foreign nationals / an individual associated with the project is obtained prior to the submission of the proposal.**

Writing the report is integral part of any archaeological excavation. Therefore, while submitting the proposals for excavation it should clearly be indicated whether report on the previous excavation have been prepared and brought out. If not, detailed and cogent reasons must be indicated. It may please be noted that no approval for excavation will be granted if the above information is not furnished. The Head of the Institution and Departments shall clearly ensure that there is no pendency in excavation reports of the concerned applicant. Further, they may ensure that if the concerned applicant has pending excavation reports, the application may not be forwarded. The completed reports shall be submitted to the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi in hard as well as soft copy (pdf / format).

Encl: A/A

(Shubhra Pramanik)  
Director (EE)

Copy forwarded to all the (Directorate of Archaeology) State departments concerned for information and prompt forwarding of the proposals for exploration / excavation in respect of their State for the season **2010-11** with their recommendations for excavation. It is necessary to fulfill the provisions stipulated in the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the Rules made thereunder. The relevant parts are reproduced below for your ready reference.

*“No State Government shall undertake or authorize any person to undertake any excavation or other like operation for archaeological purposes in any area which is not a protected area except with the previous approval of the Central Government and in accordance with such rules or directions, if any, as the Central Government may make or give in this behalf” .... (Section 24, AMASR Act, 1958).*

*“Every State Government intending to undertake or authorize any person to undertake any archaeological excavation or other like operation in any area which is not protected area shall intimate its intention to the Central Government at least three months prior to the proposed date of the commencement of the excavation or operation.....” (Rule 24 AMASR Rules, 1959).*

(Shubhra Pramanik)  
Director (EE)



13. Details of the composition of the team and the qualifications, responsibilities and experience of each team member
14. Arrangements for collaboration with museums and other institutions, in particular scientific institutions, if any
15. Plans for post-fieldwork analysis and other activities
16. Plan for the preservation and maintenance of excavated remains and material
17. Plan for report preparation
18. Provision for proper scientific storage of the excavated materials and photo / drawing documentation
19. Programme for publication
20. Stage of submission of the report(s) on exploration (s) / excavation(s) taken up by the applicant / institution

Year	Name of the site	Stage of publication of report
------	------------------	--------------------------------

21. Brief report on work(s) carried out by the applicant / institution during the last season as per approved programme
22. Any other information
23. I declare that the above information is correct. I also undertake to observe the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the rules made there under.

Station:

Date:

Seal of the Institution

**Signature of the applicant**  
(if the application is on behalf of an institution, the signature should be that of the head of the institution, which term includes the Registrar of a University)

Recommendation of the State Government

Recommendation of the Standing Committee

Director General  
Archaeological Survey of India

## FORM –II

### Application for Licence to excavate in a Protected Area for the field season 2010-2011

(Vide rule 12)

1. Name and address of applicant  
(if the application is on behalf of  
an institution, the name thereof  
should be given)
2. Name of the site  
Locality  
District  
State
3. Extent of the proposed excavation  
(a plan of the site in triplicate  
showing in red out line the extent  
of the proposed excavation to be  
attached)
4. Approximate duration and date of  
commencement of the proposed  
excavation
5. Approximate expenditure on the  
proposed excavation
6. Name and status of the director of  
the proposed excavation
7. Details of photographic, surveying  
and other equipments available for  
the proposed excavation

I declare that the above information is correct. I also undertake to observe the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the rules made thereunder.

Station:

Date:

Seal of the institution

**Signature of the Applicant**  
(if the application is on behalf of  
an institution, the signature  
should be that of the head of the  
institution, which term includes  
the Registrar of a university)

